आराम

7/12/16 पत्रावली पेश हुई। वकुलाम उपस्थित/पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने कारण पत्रावली दिनांक 9/2/17 को पेश हो।

9/2/17 पत्रावली पेश हुई। वकुलाम उपस्थित/पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने कारण पत्रावली दिनांक 22/3/17 को पेश हो।

22.3.17 वकुलाम उप.। A/d तम्बीपत्र हेतु समय दिया जाकर पत्रावली दिनांक 11.5.17 को पेश हो।

S.D.O.

लोक अदालत कैम्प नाडोल

(न्याय आपके द्वार अभियान, 2017)

1-6-2017

पत्रावली प्रस्तुत हुई। वादीगण। हे 4 आवश्यक सूचना/नोटिस तामील के अनुपस्थित। अत: इस प्रकरण का निस्तारण उपलब्ध रेकार्ड एवं गुणावगुण पर किया जाना हम उचित समझते हैं। प्रतिवादी भूमिधारी तहसीलदार देसूरी

S.D.O.

अधिकारी (बाली)

उपस्थित, भिन्न पु

उपस्थित, मिस्ल पु
पत्रावली एवं वादपत्र, जवाब
एवं अभिलेखो का गहनता से
अवलोकन किया। वादीगण
ने वाद अन्तर्गत धारा 88-89-
92(A)-188 R.T. Act- प्रस्तुत कर
निवेदन किया कि सरहद कौसा
माडोल चक II में स्थित वादग्रस्त
भूमि ख०नं० 3195, 3196 रकबा
2=15 हेक्टर किस्म बा० दो० जिसके
बन्दोबस्त से पूर्व जाल ख०नं० 1638 मी०
रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा है, वादी
के पुश्तैनी कब्जा काश्त की भूमि
है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण
का कब्जा संवत् 2012 से निरन्तर
होने के बावजूद धारा 15 R.T. Act-
के खातेदार दर्ज नहीं किया गया।
अत: वादग्रस्त भूमि के खातेदारी
हकूक की घोषणा का अनुतोष
प्रदान करने का निवेदन किया गया।
प्रतिवादी भूमिधारी ने जवाब पेश
कर वादपत्र के तथ्यो को अस्वीकार
किया एवं ...

उपखण्ड अधिकारी देसूरी (पाली)

भूमि पर संवत् 2045-46, पश्चात्
2049-50 में बतौर अतिक्रमी दर्ज
होना तथा 10 वर्ष बाद 2060 में
कब्जा अतिक्रमण दर्ज होना बताया
तथा संवत् 2012 से कब्जा नहीं
होना तथा गत ख०नं० 1638 की
के नये ख०नं० 3195, 3196 के अलावा
अन्य कई खसरे भी कायम हुवे है
उल्लेखित किया तथा निरन्तर
कब्जा नहीं होने से वाद वादीगण
खारिज करने का निवेदन भी किया।

उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों
के अवलोकन से जाहिर है कि
खसरा परिवर्तनशील संवत् 2023
से 2025 में वादग्रस्त भूमि पर
राजा, मेगा पि० बदा अतिक्रमी दर्ज
है, संवत् 2035, 2036, 2038, 2039,
में राजा पुत्र बदा, मोती पुत्र राजा
का अतिक्रमण दर्ज है, संवत् 2040
से 2042 में मोती, मेगा पि० राजा
अतिक्रमी दर्ज है। इसी प्रकार संवत्
2049-50 में लच्छा पुत्र मेगा,
मेगा पुत्र मोती एवं 2051 में पुनः
मोती, मेगा पि० राजा तथा 2058,

P.T.O.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	2060 में केना पुत्र मोती, भेगा पुत्र राना अतिक्रमी दर्ज है। प्रस्तुत गिरदावरी संवत् 2015 से 2018 में भी वादीगणो अथवा उनके पिता के नाम कोई काश्त कब्जा दर्ज नही है। इस प्रकार वादीगणो की ओर से कोई अभिलेखीय प्रमाण साक्ष्य प्रस्तुत नही है जिससे यह साबित हो सके कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगणो का कब्जा संवत् 2012 से पूर्व हो। विभिन्न कृषि वर्षो मे वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण भी पृथक-2 नामो से दर्ज है। वादीगण का अभिलेखीय निरन्तर कब्जा का पूर्णतया अभाव है, ऐसी स्थिति में धारा 88 R.T. Act के तहत वादग्रस्त भूमि के खातेदारी हुकूक वादीगण को घोषित नही हो सकते है। राजस्थान काश्तकार अधिनियम के प्रावधान लागू होने के समय अभिलेखों में काश्तकार के रूप में प्रविष्टी होने पर ही

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

[illegible]

राo वाद 52/09
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
पेमाराम / सरकार

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

खातेदारी घोषणा का अनुतोष दिया जा सकता है। कब्जे के आधार पर खातेदारी हकूको की घोषणा नही की जा सकती है एवं अनाधिकृत कब्जा / अतिक्रमण को आधार मानकर भी खातेदारी हकूक प्रदत्त नही किये जा सकते है उक्त तथ्यो की पुष्टि निम्नांकित उद्धरणो के अवलोकन से बखूबी होती है:-

(1) R.R.D. 1986 पृष्ट 86
(2) R.R.D. 1996 पृष्ट 389
(3) R.R.D. 1997 पृष्ट 90, 256
(4) RRD 2004 पृष्ट 110

उपरोक्त विवेचन एवं नजीरो से सहमत है। अतः वादीगण की वाद अस्वीकार किया जाना विधि सम्मत नही है। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर सरका रिकार्ड हो।

निर्णय सुनाया गया।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
SDM
खाजूवाला (बीकानेर)